

06.08.2024 पत्रावली पेश हुई।

वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण अनुपस्थित। एक-
दूसरे पर तीन बार आवाज लगाई गई, वाक्यूम
इसके कोई स्थानित नहीं। इससे प्रतीत होता
है कि वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण अपने
दावे को लेकर गम्भीर नहीं हैं अतः दावा अधि-
रक्षित अडम पैरवी इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है।

पत्रावली पेशल शुभा छेहर नंदा
से काम की जाकर दाखिल दफतर से

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

